

प्रेस-विज्ञप्तिथाना मुबारकपुरफर्जी तरीके से गोल्ड लोन दिलवाने वाले 03 गोल्ड वैल्युअर गिरफ्तार**पूर्व की घटना-**

➡ दिनांक-11.01.2024 को वादी सोनू मौर्या पुत्र घुरहू मौर्या नि० तेजपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 06.12.23 को बैंक में खाता खुलवाकर नकली सोना बैंक को देकर गोल्ड लोन कराया गया, के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 29/24 धारा 406/420 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक- 09.01.24 वादिनी विमला देवी पत्नी उदयप्रताप सिंह नि० ग्राम डिलिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक- 23.12.23 को आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर गोल्ड लोन यूनियन बैंक आफ इंडिया से 03 लाख 60 हजार रूपया निकलवा लिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु०अ०सं० 09/24 धारा 386 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक- 12.1.2024 को वादिनी गोल्ड लोन ऋणि शशिकला पत्नी राजेन्द्र कुमार नि० गुलउर थाना मुबारकपुर द्वारा वादिनी को पैसा देने के नाम पर यूनियन बैंक आफ इंडिया कन्धरापुर शाखा मधुवन जनपद आजमगढ़ मे ले जाकर बैंक फार्म में धोखे से हस्ताक्षर बनवाकर गोल्ड लोन के नाम पर वादिनी के खाते से 04 लाख 15 हजार 500 रूपये निकलवाकर ले लिया, के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 12/24 धारा 420/406 भादवि थाना कंधरापुर दर्ज है, विवेचना प्रचलित है।

➡ घटना का अनवारण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 04 टीमों गठित की गयी थी।

➡ थाना मुबारकपुर पर मु०अ०सं०- 009/2024 धारा 386/419/420/467/468/471/34 भादवि, थाना कोतवाली पर मु०अ०सं० 29/2024 धारा 406/420 भादवि व थाना कन्धरापुर पर मु०अ०सं० 12/2024 धारा 420/406/467/468/471/34 भादवि बनाम 1.राजन सिंह पुत्र स्व० बंश बहादुर सिंह साकिन तेजपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 2.मनीष सिंह पुत्र अशोक सिंह साकिन तेजपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ पंजीकृत है जिसमें उपरोक्त तीनों मुकदमों में विवेचना से 03. राजाराम तिवारी पुत्र चन्द्रिका प्रसाद तिवारी निवासी पल्टी जोत थाना परशुरामपुर हाल पता कस्बा व थाना परशुरामपुर निकट वोडाफोन टावर जनपद बस्ती 4. सुनील कुमार शर्मा पुत्र पन्डोही शर्मा निवासी ग्राम बनकटवा थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती 5. रमेश कुमार वर्मा पुत्र स्व० तिलक राम वर्मा निवासी मिसरौलिया धीस थाना परशुरामपुर जिला बस्ती 6. विजय प्रताप वर्मा पुत्र चन्द्रिका प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम परसहवागनी पुर थाना परशुरामपुर जिला बस्ती 7. धरम सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी बैतीकला जनपद अयोध्या 8. सुनील कुमार वर्मा उर्फ पप्पू सोनार पुत्र स्व० बब्बन प्रसाद वर्मा निवासी जापलीनगंज थाना कोतवाली जनपद बलिया एवं वैल्युअर 09. फैजल हक पुत्र इनामुल हक निवासी मुहल्ला छोटी अर्जेन्टी (जैन ज्वैलरी कस्बा मुबारकपुर) थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अभी विवेचना प्रचलित है।

➡ दिनांक- 15.01.24 को थाना मुबारकपुर, कोतवाली व स्वाट/सर्विलांस टीम के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 04 वांछित अभियुक्त 1. राजाराम तिवारी पुत्र चन्द्रिका प्रसाद तिवारी नि० पल्टी जोत थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती उम्र 43 2. विजय प्रताप वर्मा पुत्र चन्द्रिका प्रसाद नि० परसहवा बैजलपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती उम्र 34 वर्ष 3. रमेश कुमार वर्मा पुत्र तिलकराम वर्मा नि० मिसरौलिया धीरा थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती उम्र 35 वर्ष 4. सुनील कुमार वर्मा उर्फ पप्पू सोनार पुत्र स्व० बब्बन प्रसाद नि० जापलीनगंज थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र 50 वर्ष के कब्जे से 08 अदद सोने के कंगन, 09 अदद सोने की चेन व 4500 रूपया गिरफ्तार किया गया था।

जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.02.2024 को व०उ०नि० सुरेश सिंह यादव मय हमराह पुलिस बल द्वारा सेकेन्ड मोबाइल के साथ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. फैजल हक पुत्र इनामुल हक निवासी मुहल्ला छोटी अर्जेन्टी (जैन ज्वैलरी कस्बा मुबारकपुर) थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2. सन्तोष सेठ पुत्र रामधनी सेठ निवासी विजय साउण्ड सर्विस ग्राम कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 3. गोविन्द कुमार सेठ पुत्र दिनेश सेठ निवासी मकान नं० 273 लक्षिरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को नरौली पुल के पास गिद्धी बालू की दुकान के पास समय करीब 15.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0स0 009/2024 धारा 386/409/419/420/467/468/471/34 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 12/2024 धारा 420/406/409/467/468/471/34 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 29/2024 धारा 406/409/420/420/406/467/468/471/34 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 009/2024 धारा 386/409/419/420/467/468/471/34 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 12/2024 धारा 420/406/409/467/468/471/34 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 29/2024 धारा 406/409/420/420/406/467/468/471/34 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता:-

1. फैजल हक पुत्र इनामुल हक निवासी मुहल्ला छोटी अर्जेन्टी (जैन ज्वैलरी कस्बा मुबारकपुर) थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. सन्तोष सेठ पुत्र रामधनी सेठ निवासी विजय साउण्ड सर्विस ग्राम कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
3. गोविन्द कुमार सेठ पुत्र दिनेश सेठ निवासी मकान नं0 273 लक्षिरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

- 1-व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह का0 शैलेश यादव, का0 दिनेश यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- सरायमीर

दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना –

दिनांक 02.02.2024 को जनसुनवाई हेल्प डेस्क पर आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षी सलीम शेख पुत्र स्माईल शेख निवासी संजरपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 – 51/2024 धारा 376 भादवि बनाम सलीम शेख पुत्र स्माईल शेख निवासी संजरपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.02.2024 निरीक्षक अपराध श्री सुर्यवंश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त मो0 सलीम पुत्र इस्माइल सा0 संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को संजरपुर चौराहे से समय करीब 12.40 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0- 51/2024 धारा 376 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- मो0 सलीम पुत्र इस्माइल सा0 संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाले टीम-

- 1- निरीक्षक अपराध सुर्यवंश यादव मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना – तरवां

दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादी मुकदमा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाना तरवां पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 29.01.24 समय रात्रि 11.00 बजे विपक्षी रामजीत यादव पुत्र राजनाथ यादव सा0 सरायभादी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की लड़की उम्र 15 वर्ष के साथ में वादी के मकान में घुसकर दुष्कर्म किया गया तथा वादी की लड़की से कहना कि अगर किसी से बताऊंगी तो तुम्हारे पिता को जान से मारकर खत्म कर देगे। दिनांक 03.02.24 को वादी की पुत्री द्वारा अपने पिता को उक्त घटना उपरोक्त के बारे बताया, के आधार पर दिनांक 03.02.24 को थाना स्थायनीय पर मु0अ0सं0 38/24 धारा 376, 506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम रामजीत यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 04.02.2024 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामजीत यादव पुत्र राजनाथ यादव सा0 सरायभादी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को महंगूगंज तिराहा से समय करीब 10.15 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- 1.मु0अ0सं0- 0038/2024 धारा 376,506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- 1-रामजीत यादव पुत्र राजनाथ यादव सा0 सरायभादी थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, हे0का0 प्रमोद कुमार यादव, का0 सौरव सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार; 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

वादी की तहरीर सूचना पर की पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष जो एक नाबालिक लड़की है दिनांक 17-1-2024 को समय 4 बजे दिन बुद्धवार को घर से ट्यूबेल पर जाने के लिए निकली कुछ समय बीत जाने के बाद जब घर नहीं आई तो परिजनों द्वारा तलाश किया गया तो ट्यूबेल के पास उसका बैग मिला जिसमें एक कापी पर मोबाईल नम्बर मिला परिजनों द्वारा उस नम्बर पर फोन लगाने पर एक लड़के से बात हुई बनारस आने की बात कहकर अपनी मोबाइल बन्द कर दिया जिनके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 24/24 धारा 363/366 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। दौरान विवेचना दिनांक 01.02.24 को वादी की पुत्री को बरामद किया गया पीडिता के बयान से अभियुक्त विशाल चौरसिया पुत्र राजेश चौरसिया निवासी हुसैनगंज थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 2.बाल अपचारी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया तथा बयान से अभियुक्त विशाल चौरसिया के विरुद्ध धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 04.02.24 को उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त 1. विशाल चौरसिया पुत्र राजेश चौरसिया निवासी हुसैनगंज थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व 2. बाल अपचारी (पुलिस अभिरक्षा में) को समय 10.00 बजे लखराव नहर पुलिया के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 24/24 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.विशाल चौरसिया पुत्र राजेश चौरसिया निवासी हुसैनगंज थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. बाल अपचारी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ (पुलिस अभिरक्षा में)

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1- उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह हे0का0 भैयालाल यादव व का0 रामबाबू थाना मेंहनगर आजमगढ़

थाना- फूलपुर

लड़की को अगवा करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 02-01-24 को वादी मुकदमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित दिया कि अज्ञात द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को बहला-फूसलाकर भगा ले गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 3/24 धारा 363/366 भादवि विरुद्ध अज्ञात पंजीकृत है। विवेचना उ0नि0 बासदेव मिश्रा के द्वारा की रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

से दिनांक 17-01-2024 को उ0नि0 बासदेव मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गनेश गौड पुत्र प्रताप गौड सा0 नियाउज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को जगदीशपुर तिराहे से समय 10-30 बजे को हिरासत पुलिस में नियमानुसार चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. गनेश गौड पुत्र प्रताप गौड सा0 नियाउज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष बरामदगी का विवरण:- निल

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 3/24 धारा 363/366 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0- 3/24 धारा 363/366 भादवि फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-उ0नि0 बासदेव मिश्रा मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना – अहरौला
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 29.11.2023 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 28.11.2023 की सुबह करीब 5 बजे वादी मुकदमा की लड़की किसी को बिना कुछ बताये कहीं चली गयी, के सम्बंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 402/2023 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर धारा 366/376(2) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.02.2024 उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता को बरामद किया गया तथा उसके साथ अभियुक्त चन्दन कुमार पुत्र कुंवर बहादुर उम्र करीब 21 वर्ष नि0 ग्राम कटवा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को निजामाबाद में घुरीपुर मोड़ समय 12.05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 402/23 मे धारा 363/366/376(2) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-चन्दन कुमार पुत्र कुंवर बहादुर नि0 ग्राम कटवा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह, का0 लालजी यादव व म0का0 प्रियंका वर्मा थाना अहरौला आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

चोरी के अभियोग में 03 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना-

दिनांक- 03.02.2024 को वादिनी मुकदमा उर्मिला देवी पत्नी खिचडू नि0 दिलौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 31.01.2024 को समय करीब 2 बजे दिन मे विपक्षी 1.मोछू पुत्र श्रीराम सिंह 2.राजा पुत्र गुड्डू नि0गण शेखपुर दाउतपुर थाना निजामबाद आजमगढ़ 3.लम्बू चिक सा0 फरिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ व 04. एक बाल अपचारी द्वारा वादिनी मुकदमा की बकरी चोरी कर लिए तथा फरिहा मे लम्बू चिक की दुकान से बरामद हुई, के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 379 भादवि बनाम 1.मोछू पुत्र श्रीराम सिंह आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक-04.02.2024 को उ0नि0 त्रिभुवन नरायण मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित अभियुक्त 1.मोछू सिंह उर्फ शेर बहादुर पुत्र स्व0 श्रीराम सिंह निवासी शेखपुर दाउतपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ 2. रईश उर्फ लम्बू पुत्र इरशाद निवासी फरिहा थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ 03.राज उर्फ राजा पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी शेखपुर दाउतपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ 04.(अपचारी) छोटू उर्फ प्रिन्स राजभर पुत्र अनिल राजभर निवासी दिलौरी थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ को ईश्वरपुर अमर शहीद इण्टर कालेज से समय करीब 12.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा उनके कब्जे से 1000 रूपये नगद बरामद किया गया। अग्रेत्तर कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-31/2024 धारा 379/411 भादवि थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.मोछू सिंह उर्फ शेर बहादुर पुत्र स्व0 श्रीराम सिंह निवासी शेखपुर दाउतपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़
2. रईश उर्फ लम्बू पुत्र इरशाद निवासी फरिहा थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़
- 03.राज उर्फ राजा पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी शेखपुर दाउतपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़
- 04.(अपचारी) थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ (पुलिस अभिरक्षा में)

बरामदगी – 1050 रू0 नगद बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 त्रिभुवन नरायण मय हमराह थाना रानी की सराय आजमगढ़

थाना- कोतवाली

थाना कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं कारित करने वाला गिरफ्तार; चोरी की बैट्री व 01 जोड़ी पायल बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 30/12/023 को वादी मुकदमा कृष्णा प्रजापति S/O स्व0 लालचन्द्र प्रजापति ग्रा0 बलरामपुर पो0 पठखौली थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि मेरी दुकान कृष्णा ट्रेडर्स हाफिजपुर-जुनेदगंज मार्ग पर स्थित है। दुकान मे से 1 LED टी0वी0 और दुकान के काउन्टर से लगभग 1500-2000 नगद रुपये व मोबाइल चार्जर एवं स्टील रिंग 600 पीस अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 747/23 धारा 380, 457 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ दिनांक 31/12/23 को वादी मुकदमा प्रिन्स सोनी पुत्र स्व0 प्रेमचन्द्र सोनी निवासी ग्रा0 अहरौला आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी दुकान आहोपट्टी बाजार में मंगलम ज्वैलर्स के नाम से है जिसमें अज्ञात चोरो ने 01 पल्ला कान का झाला, 5 जोड़ी पुराना पायल और 5 या 6 नग लोंग (नाक का किल) चोरी कर लिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0002/2024 धारा 380, 457 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ दिनांक 03/01/2024 को वादी मुकदमा अजीत कुमार सिंह S/O रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम रामगढ थाना मेहनगर जनपद आजमगढ की जजी मैदान गेट के सामने खडी आल्टो गाडी से किसी अज्ञात व्यक्ति ने बैट्री चोरी कर लिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/24 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ थाना क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतू उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द के प्रभार में 01 टीम का गठन किया गया।
गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 04.02.2024 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह को सूचना मिली कि जजी मैदान गेट से आटो से बैट्री चोरी करने वाला अभियुक्त ई रिक्शा से बैटरी को लेकर नरौली से बस अड्डा इस सूचना पर अभियुक्त दिनेश चौहान पुत्र नन्दा चौहान निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को प्राइवेट बस स्टैण्ड जजी मैदान से समय करीब 05.45 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त के पास से चोरी की एक बैट्री, एक जोड़ी पायल व 570 रूपया नगद बरामद हुआ है गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- दिनेश चौहान पुत्र नन्दा चौहान निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 26।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 68/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:- 01 बैट्री (चोरी की), 01 जोड़ी पायल व 570 रूपया नगद

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 31.12.23 को आहोपट्टी बाजार से मंगलम ज्वैलर्स की दुकान से आभूषण चोरी कर मैंने बेच दिया है। तथा दिनांक 30/12/023 को कृष्णा ट्रेडर्स हाफिजपुर-जुनेदगंज मार्ग से 01 LED टी0वी0 और दुकान से लगभग 1000 नगद रुपये व कुछ स्टील रिंग मैंने चुराकर बेच दिया है। दिनांक 03.02.2024 को जजी मैदान से एक आटो से मैंने बैटरी चोरी कर उसे बेचने जा रहा था।

आपराधिक इतिहास -

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	281/23	379/411 भादवि	कंधरापुर	आजमगढ़
2	112/19	3 /25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़
3	291/17	379/411 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
4	302/17	379/411 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
5	146/15	8/22 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़
6	02/24	380/457	कोतवाली	आजमगढ़
7	747/23	380/457 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
8	68/24	379/411 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, कां0 संदीप यादव थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना निजामाबाद

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 17.10.2023 को वादिनी मुकदमा ने थाना निजामाबाद पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी मुकदमा की जेठानी द्वारा बक्से में रखा एक लाख रुपया नगद व सोने की लाकेट, सोने का बुन्दा, सोने की अंगूठी, तीन सोने की बाली को लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 457/23 धारा- 379 भादवि0 बनाम (जेठानी) थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसमें बाद विवेचना धारा 379 भादवि का विलोपन करते हुये धारा 342/376/506/419/420/406 भादवि की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्ता (जेठानी) उपरोक्त के नाम का विलोपन करते हुये अभियुक्त हाफिज अरमान पुत्र अब्दुल खालिक पता अमरुतानी बाग रसूलपुर थाना-गोरखनाथ जनपद गोरखपुर का नाम प्रकाश में लाया गया। पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि वादिनी मुकदमा की जेठानी को अभियुक्त हाफिज अरमान पुत्र अब्दुल खालिक पता अमरुतानी बाग रसूलपुर थाना-गोरखनाथ जनपद गोरखपुर ने बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाया कर दुष्कर्म किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 04.02.24 को उ0नि0 कन्हैयालाल मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त हाफिज अरमान पुत्र अब्दुल खालिक पता अमरुतानी बाग रसूलपुर थाना-गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को सेण्टरवा तिराहे से समय करीब 07.50 बजे गिरफ्तार, अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 457/23 धारा 342/376/506/419/420/406 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- हाफिज अरमान पुत्र अब्दुल खालिक पता अमरुतानी बाग रसूलपुर थाना-गोरखनाथ जनपद गोरखपुर उम्र 36 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- उ0नि0 कन्हैयालाल मौर्य, का0 धर्मवीर प्रजापति, का0 राहुल सिंह थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

थाना- कन्धरापुर

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नौकरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 16.12.2023 को वादी मुकदमा सन्तोष यादव पुत्र पतिराम यादव साकिन लखमीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष ने मा0 न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद आजमगढ़ दिये गया था कि अभियुक्त बिहारी यादव पुत्र रामशुकूल यादव निवासी लखमीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ हाल पता ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ जो जालसाज व फरेब किस्म का व्यक्ति है जिसने कूट रचित दस्तावेजों को तैयार कर उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम जिला बहराईच वर्कशाप में ड्राइबर के पद पर फर्जी जन्मतिथि को अंकित कर ड्राइबर के पद पर रहते हुए कूटरचित दस्तावेज व छल पूर्वक नौकरी किया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 371/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि0 बनाम बिहारी यादव पुत्र रामशुकूल यादव निवासी लखमीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ हाल पता ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 04.02.2024 को उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बिहारी यादव पुत्र रामशुकूल यादव निवासी ग्राम लखमीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ हाल पता ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष को ग्राम मुजफ्फरपुर से समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- बिहारी यादव पुत्र रामशुकूल यादव निवासी लखमीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ हाल पता ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष।

पंजीकृत मुकदमा- मु0अ0सं0 371 0/ 2023 धारा 419 /420/467/468/ 471 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 317/23 धारा 147, 323, 352, 427, 504, 506 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 371 0/ 2023 धारा 419 /420/467/468/ 471 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1- उ0नि0 शंकर कुमार, का0 कृष्ण कुमार पटेल थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

थाना रौनापार

अवैध तमन्चा कारतूस व 72000/- रुपये जाली नोट के साथ हिस्ट्रीशीटर एवं अन्तर्जनपदीय अपराधी गिरफ्तार

आज दिनांक 04.02.2024 को व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय हमराह को सूचना मिली कि निबिहवा ढाला पर 01 व्यक्ति जाली नोट व देशी तमन्चा के साथ खड़ा है। इस सूचना पर व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय हमराह द्वारा अभियुक्त सुबाष यादव पुत्र रामराज यादव साकिन निबिहवा (कोटे का पुरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को ग्राम निबिहवा ढाला से समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 देशी तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 72000/- रुपये जाली नोट बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 43/24 धारा 489बी भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 43/24 धारा 489बी भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- सुबाष यादव पुत्र रामराज यादव साकिन निबिहवा (कोटे का पुरा) थाना रौनापार जनपद

बरामदगी-

1-01 देशी तमन्चा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 72000/- रुपये जाली नोट

आपराधिक इतिहास- सुबाष यादव पुत्र रामराज यादव, (थाने का टाप टेन अपराधी), (HS No.- 7A)

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	30/19	419,420,467,468,471,489सी भादवि	रौनापार	आजमगढ़
2	31/19	25 आर्म्स एक्ट	रौनापार	आजमगढ़
3	67/20	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	रौनापार	आजमगढ़
4	132/19	120बी,302 भादवि	रौनापार	आजमगढ़
5	155/21	8/20 एनडीपीएस एक्ट	रौनापार	आजमगढ़
6	156/21	3/25 आर्म्स एक्ट	रौनापार	आजमगढ़
7	286/22	8/20 एनडीपीएस एक्ट	रौनापार	आजमगढ़
8	287/22	3/25 आर्म्स एक्ट	रौनापार	आजमगढ़
9	328/12	392 भादवि	रौनापार	आजमगढ़
10	817/12	356,504 भादवि	रौनापार	आजमगढ़
11	196/13	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	बिलरियागंज	आजमगढ़
12	253/08	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	महराजगंज	आजमगढ़
13	308/09	8/21/22 एनडीपीएस एक्ट	रौनापार	आजमगढ़
14	1308/12	307 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
15	257/12	392 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
16	347/12	392 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
17	610/12	392 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
18	302/12	392 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
19	503/12	379,411 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
20	583/12	379,411 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
21	44/13	394 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
22	182/13	307,504 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
23	280/12	3/4 उ0प्र0 गुण्डागर्दी निय0अधि0	रौनापार	आजमगढ़
24	217/18	489बी भादवि	रौनापार	आजमगढ़
25	186/13	307 भादवि	सिधारी	आजमगढ़
26	187/13	3/25 आर्म्स एक्ट	सिधारी	आजमगढ़
27	84/97	60 आब0 अधि0	रौनापार	आजमगढ़
28	95/2000	110जी सीआरपीसी	रौनापार	आजमगढ़
29	121/2000	352,325,504,506,342 भादवि	रौनापार	आजमगढ़
30	51/2000	394 भादवि	रौनापार	आजमगढ़
31	73/2000	392 भादवि	रौनापार	आजमगढ़
32	706/09	307 भादवि	ठाकुरगंज	लखनऊ

33	707/09	3/25 आर्म्स एक्ट	ठाकुरगंज	लखनऊ
34	708/09	8/20 एनडीपीएस एक्ट	ठाकुरगंज	लखनऊ
35	177/06	304ए,286,127,34 भादवि व 5/9 विस्फोटक अधि०	रौनापार	आजमगढ़
36	150/09	110जी	रौनापार	आजमगढ़
37	76/04	302 भादवि	बांसडीह	बलिया
38	71/04	307 भादवि	भीमपुरा	बलिया
39	72/04	25 आर्म्स एक्ट	भीमपुरा	बलिया
40	105/05	3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट	रौनापार	आजमगढ़
41	140/04	2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट	बांसडीह	बलिया
42	43/24	489बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट	रौनापार	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-व०उ०नि० मधुसूदन चौरसिया, का० अवधेश यादव, का० उपेन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह

लड़की को अगवा करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 24.01.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि वादी की नाबालिक लड़की को अभियुक्त मसरूर पुत्र सोफियान निवासी ग्राम – सिपाह, थाना – कोतवाली, जौनपुर बहला-फुसला कर भगा ले गया है। जिसके आधार पर मु०अ०सं० 0029/24 धारा 363/366 भादवि० पंजीकृत कर दिनांक 28.01.2024 को अपहृता बरामद कर परिजनो को संपूर्ण किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 04.02.2024 को उ०नि० कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मसरूर पुत्र सोफियान निवासी ग्राम – सिपाह, थाना – कोतवाली, जौनपुर को जिवली से समय करीब 12.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- मसरूर पुत्र सोफियान निवासी ग्राम – सिपाह, थाना – कोतवाली, जनपद जौनपुर।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ०नि० कमला सिंह यादव, उ०नि० सुवाष प्रसाद यादव, हे०का० मनोज यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

अवैध तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 04.02.2024 को चौकी प्रभारी लोहरा उ०नि० प्रमोद कुमार यादव मय हमराह को सूचना मिली की 01 व्यक्ति अवैध तमन्चा के साथ भगवानपुर मोड पर खडा है इस सूचना पर उ०नि० प्रमोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा भगवानपुर मोड से अभियुक्त सतेन्द्र मौर्य पुत्र रमेश मौर्य निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 50/2024 धारा 3/25 आयुध अधि० पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- सतेन्द्र मौर्य पुत्र रमेश मौर्य निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०- 50/2024 धारा-3/25 आर्म्स थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी:- 01 तमंचा .12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ०नि० प्रमोद कुमार यादव, का० सतेन्द्र कुमार, का० अंजनी कुमार थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

थाना- कोतवाली
हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 04.01.2024 को वादी रामप्रकाश यादव पुत्र बालकरन यादव रैदोपुर सिविल लाइन आजमगढ थाना कोतवाली आजमगढ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि वादी, ज्ञानेन्द्र सिंह के यहां प्राइवेट नौकरी करता है। आज सुबह 11 बजे ज्ञानेन्द्र सिंह की जमीन पर वाउन्ड्री वाल का काम चल रहा था वादी वहां का काम काज का देखभाल कर रहा था , तभी श्रवण यादव पुत्र स्व फन्नीलाल यादव, उमेश यादव पुत्र रामजनम यादव, मनीष यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी हाफिजपुर मुसे का पुरा थाना कोतवाली आजमगढ ने लाठी, ठण्डा, फौडा, राड से लौस होकर गाली गुप्ता देते हुए जान मारने की नियत से मेरे उपर प्रहार कर दिये व वाउन्ड्री वाल का दीवाल गिरा दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 06/24 धारा 325,307,447,504,506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

➡ दिनांक 05.01.2024 को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.02.2024 को उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मनीष यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी मुसे का पूरा हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ उम्र 27 वर्ष को प्राइवेट बस स्टैण्ड नरौली से समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मनीष यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी मुसे का पूरा हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 6/24 धारा 325,307,447,504,506 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ।

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1- उ0नि0 अनुपम जायसवाल , हे0कां0 विनित दूबे थाना कोतवाली आजमगढ ।